छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-03

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2024</u>

(माघ 18, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 42 तारांकित एवं 66 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, कुंवर सिंह निषाद एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदेश में हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल उत्खनन से उत्पन्न स्थिति संबंधी विषय पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने भी इस पर विचार व्यक्त किये ।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- प्रदेश में हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल उत्खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुझे डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य माननीय सदस्यों के

द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 55 का अवलोकन किया। आप सभी जानते हैं कि यह बजट सत्र है, बजट सत्र में माननीय सदस्यों को विभिन्न विषयों में अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, बजट पर सामान्य चर्चा, विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है जिसमें शासन के विभिन्न विषयों पर आप अपनी बात रख सकते हैं और पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगा तब आप अपनी बात रख सकते हैं। अतः विचारोपरांत मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता, इसे अग्राह्य करता हूं ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.45 बजे स्थिगित की जाकर 12.57 बजे समवेत् हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा पुनः प्रदेश में हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल उत्खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 101/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 21 फरवरी, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2023,

(ii) अधिसूचना क्रमांक 99/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 13 मार्च, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन) 2023,

(iii) अधिसूचना क्रमांक 102/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 10 मई, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारणा हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023,

(iv) अधिसूचना क्रमांक 104/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 26 सितम्बर, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023,

(v) अधिसूचना क्रमांक 105/छ.रा.वि.नि.आ./2023, दिनांक 6 सितम्बर, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियो की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023, तथा

(vi) अधिसूचना क्रमांक 106/सी.एस.ई.आर.सी./2023, दिनांक 6 अक्टूबर, 2023, द्वारा अधिसूचित छत्तींसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023,

(2) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23,

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23 तथा

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18,

पटल पर रखे।

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

मानीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

डॉ. चरण दास महंत, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री बघेल लखेश्वर, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा, श्री इंद्रशाह मण्डावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र

कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री संदीप साहू, इन्द्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

मानानीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

6. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री राजेश मूणत, सदस्य ने कोल परिवहन व उससे संबंधित परमिट तथा अन्य स्वीकृति को ऑन लाईन नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य (अनुपस्थित-सूचना प्रस्तुत नहीं।)

निलंबन समाप्ति की घोषणा के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग नहीं लेने पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से आग्रह किया कि यह सदन की स्वस्थ परंपरा है कि जो भी चर्चा हो, वह विपक्ष की उपस्थिति में हो । मैंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे चर्चा में भाग लें । उन्होंने कहा कि वे कल इस चर्चा में भाग लेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करुंगा कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा होनी है, उसकी शुरुआत आप कल करवाएं तो ज्यादा उचित होगा। तद्नुसार माननीय अध्यक्ष ने सहमति व्यक्त करते हुए सभा की कार्यवाही कल दिनांक 8 फरवरी, 2024 तक के लिए स्थगित की ।

अपराह्न 1.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 (माघ-19, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा